न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

डालचन्द पिता अम्बालाल जी माली, निवासी खारा कुंआ, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय अम्बालाल पिता उंकार जी माली के बजाय +–

1/1. श्रीमती खुमाणी पुत्री स्व. अम्बालाल जी पत्नी पुरूषोत्तम जी माली, निवासी खांरा कुंआ, दिव्य ज्योति अपार्टमेन्ट, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर।

1/2. श्रीमती विद्या बाई पुत्री स्व. अम्बालाल जी पत्नी इन्द्रलाल जी माली, निवासी कालाजी गोराजी, गुलाब बाग के पास, उदयपुर (राज.)

2. नारायण पिता अम्बालाल जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

3. दौलतराम पिता उंकार जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

4. दौलतराम पिता उंकार जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

5. गणेशलाल पिता किशना जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

6. कन्हैयालाल पिता छोगालाल जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

7. श्यामलाल पिता डालचन्द जी माली, निवासी खांरा कुंआ, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

8. संदीप गुप्ता पिता अमरनाथ जी गुप्ता, निवासी न्यू अशोक नगर, उदयपुर

9. नारायणलाल पिता अमरनाथजी गुप्ता, निवासी न्यू अशोक नगर, उदयपुर

10. नारायणलाल पिता हरिराम जी माली, निवासी 4, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर

11. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी नारायणलाल जी माली, निवासी 4, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती हेमलता पत्नी युगल किशोर जी माली, निवासी फौज बक्षी की हवेली, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. भगवती प्रसाद पिता मेन्टुलाल जी माली, निवासी देहलीगेट, नयापुरा, उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती अन्जु पत्नी रमेश जी माली, निवासी न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती प्रेम बंशीवाल पत्नी देवीलाल जी खटीक पुत्री दलीचन्द जी खटीक, निवासी 2, न्यू अशोक नगर, सेन्ट ग्रेगोरियस स्कूल रोड़, चक्की के पीछे, उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती हंसा पत्नी राजेन्द्र जी बागरेचा, निवासी 8, मोक्ष मार्ग, उदयपुर।
17. महेश कुमार साहू पिता पुरूषोत्तम कुमार जी साहू, निवासी रामद्वारा चौक, सोमेन्ट गली, भोपालवाड़ी, उदयपुर (राज.)
18. श्रीमती सीता खोईवाल पत्नी ओमप्रकाश जी खोईवाल, निवासी 29, सुखाड़िया नगर, हिरा बाग कॉलोनी, यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.)
19. भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 18.02.2016, प्र.सं. 99/07

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 16–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आयड़ की साबिक आराजियात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर इसी कलम में वर्णित अनुसार कुल किता 5 रकबा 0.5650 हैक्टर हैं, इस भूमि के पूर्व में उंकारलाल अकेले खातेदार काश्तकार व मालिक काबिज थे। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित साबिक आराजियात कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा, जिसके हाल आराजी

कुल किता 2 रकबा 0.1350 हैक्टर बने हैं, यह भूमि पूर्व में उंकारलाल व किशना दोनों के सहखातेदारी में दर्ज थी। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित साबिक आराजियात कुल किता 4 रकबा 13 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 1559 रकबा 0.1300 हैक्टर बने हैं, यह भूमि पूर्व में उंकारलाल जी अकेले के खातेदारी में दर्ज थी। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार होकर मूल पुरूष उंकारलाल जी के दो पुत्र अम्बालाल व दौलतराम हुए एवं अम्बालाल के वादी डालचन्द व व प्रतिवादी संख्या 2 नारायण हुआ। उंकारलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है व उसका हिस्सा अम्बालाल व दौलतराम के वेस्ट हुआ, जिसमें वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 3 में वर्णित आराजियात में उंकारलाल जी की जायदाद में अम्बालाल का 1/2 हिस्सा एवं दौलतराम का 1/2 हिस्सा हुआ तथा अम्बालाल के 1/2 हिस्से की जायदाद में 1/3 हिस्सा वादी डालचन्द का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नारायण का है। इस प्रकार उंकारलाल की जायदाद में 1/6 हिस्सा वादी का व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 नारायण का है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि में उंकारलाल का किशना का 1/2, 1/2 हिस्सा था, जिससे उंकारलाल के हिस्से में अम्बालाल का 1/4 व दौतलराम का 1/4 हिस्सा हुआ तथा अम्बालाल के 1/4 हिस्से में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी नारायण का 1/12 हिस्सा हुआ। मौके पर उक्त भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हुआ है, किन्तु पक्षकारान उपरोक्तानुसार अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज हैं। अतएवं उपरोक्तनुसार विवादित भूमियों का विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 की आरे से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमियों में उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया गया है अतएवं उनका नाम हटाया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 व 14 की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 15 हंसा की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद अपने पिता अम्बालाल द्वारा मुझ प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय की गयी भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया है, जबकि वादी के पिता कर्ताखानदान होने के नाते अपने घर की जायज जरूरत हेतु उनके द्वारा विक्रय किया गया है। वादी के पिता अम्बालाल को उक्त भूमि विक्रय करने के पूर्ण अधिकार थे, जिसमें वादी कोई हक नहीं रखता है। इस कारण उसे वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतएवं वादी का वाद खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी का यह कहना है कि उसके द्वारा कुछ भूमि क्रय की गयी है, यदि प्रतिवादी यह साबित करा देता है तो उसका हिस्सा उसको हस्तान्तरित होगा। प्रतिवादी द्वारा अभी तक वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद विक्रय पत्र खारिज कराने का नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की परिधि में नहीं आता है। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 18–02–2016 से प्रतिवादी संख्या 15 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18–02–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–03–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री महेश भट्ट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से वकील श्री शंकरलाल प्रजापत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री कुलदीप टांक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 स्वयं उपस्थित हुए, परन्तु दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 19 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 के उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट द्वारा ही अपने अपील उजरात को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री अनिल शर्मा द्वारा दिनांक 24–11–2015 को बहस सुनी जाकर प्रकरण दिनांक 09–12–2015 को आदेश में रखा गया, किन्तु श्री अनिल शर्मा का स्थानान्तरण हो जाने से निर्णय नहीं लिखाया जा सका। दिनांक 30–12–2015 को पुनः बहस हेतु पत्रावली नियत की गयी, किन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से बहस नहीं हो सकी एवं किसी न किसी कारण से पेशी बदल दी गयी। अचानक दिनांक 18–02–2016 को हाल पीठासीन अधिकारी नम्रता वष्णि द्वारा बिना अपीलान्ट को बिना सुने वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत पेश किया गया है, माननीय न्यायालय को सिर्फ वादी के वाद को देखना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा मौरूसी सम्पत्तियों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें घोषणा एवं बंटवाड़े की दाद चही गयी है, जिसका अवलोकन किये बिना असत्य आधारों पर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 24–11–2015 को प्रकरण में बहस सुनकर आदेश हेतु दिनांक 09–12–2015 को पत्रावली रखी गयी, परन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से निर्णय नहीं लिखाया जा सका एवं पत्रावली बहस हेतु दिनांक 30–12–2015 को रखी गयी, परन्तु प्रकरण में बिना बहस सुने नयी पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18–02–2016 को निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद जिन आधारों पर खारिज किया गया है तथा जिस विधि के प्रावधान के तहत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वाद खारिज किया गया है, वह न तो तथ्य पूर्ण है, न ही विधिक। अपीलान्ट/वादी द्वारा

अधिनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। यदि आवेदक/रेस्पोन्डेन्ट वादी के पिता का क्रेता है तो वह भूमियां उसके पिता के हिस्से से प्राप्त कर सकता है। यदि अपने पिता की भूमि में वादी का हक हिस्सा तय नहीं होता है तो वह हिस्सा वैसे ही आवेदक/ रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में मान्य रहता है। अधिनस्थ न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्ती का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन को स्वीकार वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे वादी/अपीलान्ट का वाद विधि विरूद्ध हो, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–02–2006 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर, प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कामय कर एवं उन पर उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तथा सुनकर प्रकरण में तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–12–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दल्ला पिता चैना भीली
निवासी करोलिया, तहसील
रेलमगरा जि.राजसमंद

बनाम **उकारलाल पिता जगन्नाथ भील**
निवासी नीमचखेडा जरिये पावर ऑफ
एटोर्नी होल्डर सुशील पिता प्रेमचन्द सिंहल
नि. देवाली फतहपुरा तह.गिर्वा जि.उदयपुर
अन्य 3

अपील नं.....**42 / 03**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....31**.....माह.....**087**.....**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06**.....माह.....**04**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री सज्जन सिंह मेहता** ....मिनजानिब अपीलान्ट व श्री कैलाश नागदा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील आधार सारहीन होकर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य हैं एंव अपील खारिज की जाती हैं। डिक्री जारी होकर मिसल शुमार फैसल हो।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**04**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।